न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(1)

प्रकरण क्रं. /2010 अपील 1775/II/2010

केदारनाथ पुत्र श्री बद्रीप्रसाद अग्रवाल

निवासी कटरा, तहसील हुजूर

जिला रीवा (म.प्र.)

..... अपीलार्थी

विरूद्व

धर्मदास अग्रवाल पुत्र स्व. दीनबंधु अग्रवाल

निवासी कटरा, रीवा तह. हुजूर

जिला रीवा (म.प्र.)

..... प्रत्यर्थी

न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र.क्रं. 98/पुर्नस्थापन/09–10 में पारित आदेश दिनांक 23.2.10 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (4) के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय अपर कमिश्नर महोदय द्वारा पारित आदेश में यह विनिश्चय पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है कि रेस्टोरेशन आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये आवेदन अंतर्गत धारा–5 म्याद अधिनियम में विलंब का कोई स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है। अपर कमिश्नर महोदय द्वारा बिना कोई तर्क संगत कारण दिये ही विलंब माफ करना सदभाविक होना नहीं मान्य करने में

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

अपील प्रकरण कमांक : 1775 / II / 2010 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

28.8.14

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 98 / पुर्नस्थापन / 09–10 में पारित आदेश दिनांक 23–72–2010 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 35 (4) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनुविभागीय अधिकारी हुजूर व्दारा प्रकरण कमांक 80 / अ–6 / 98–99 में पारित आदेश दिनांक 17–10–2001 के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 58 / 2001–02 प्रस्तुत हुई जो आदेश दिनांक 22–1–2002 से अदम पैरबी में निरस्त हुई।

आदेश दिनांक 22–1–2002 से अदम पेरबी में निरस्त हुये प्रकरण को पुर्नस्थापित करने हेतु अपीलांट ने संहिता की धारा 35 (3) का आवेदन प्रस्तुत किया एंव विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन प्रस्तुत किया , जो अपर आयुक्त व्दारा प्रकरण कमांक 98 / पुर्नस्थापन / 09–10 में पारित आदेश दिनांक 23–72–2010 से निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील है।

3/ अपीलार्थी के अभिभाषक के तर्क सुने । उत्तरवादी बाबजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ अपर आयुक्त के प्रकरण कमांक 98 / पुनस्थापन / 09–10 के अवलोकन पर पाया गया कि पुर्नस्थापन हेतु अपीलांट व्दारा जो आधार बताया है वह यह कि उसके व्दारा दायर अपील को नियुक्त अभिभाषक के अनुपस्थित होने के कारण अदम पैरबी में निरस्त किया गया है इसलिये